देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/86 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 12 जुलाई 2021

भाग-3

आवासन मण्डल जहां पर सस्ते मकान,दुकान बेच रहा, वहीं बन रहे अवैध कॉम्प्लेक्स!!

चार दुकानों की जगह बन गया अवैध कॉम्प्लेक्स!!!

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित 3/SC/34,35,36,37 शोपिंग सेंटर,इंदिरा गाँधी नगर,जगतपुरा 4 दुकानों को मिलाकर बनाया जा रहा अवैध काम्प्लेक्स!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित 3/SC/34,35,36,37 शोपिंग सेंटर,इंदिरा गाँधी नगर,जगतपुरा की 4 दुकानों को मिलाकर बिना पुनर्गठन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए,बिना भवन विनियमों की पालना किये बेसमेंट सहित 6 मंजिला अवैध काम्प्लेक्स बन कर तैयार हो गया है|जानकारों के अनुसार यह दुकाने जन संपर्क विभाग के एक PRO के नजदीकी रिश्तेदार की है,जो कि वर्तमान में शहर के नगर निगम में जन संपर्क अधिकारी के रूप में तैनात है जिसने अपने रसुखातों के चलते इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण करवा लिया है|

निर्माण दर निर्माण रोकने वाला कोई नहीं|

राजस्थान आवासन मण्डल का केवल जमीन बेचने पर ध्यान,अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नहीं!!

करोड़ो के राजस्व का हो रहा नुकसान!!

बायलॉज का उल्लंघन लाइलाज • सिद्धार्थ नगर में 355 वर्ग गज में किया निर्माण

एसीबी पीआरओ के परिवार का 'आशियाना' सील किया

सितंबर में नोटिस भेजा तो 8 कमरे थे; अब 32 कमरों का होटल बना

इधर...पीआरएन नॉर्थ में 60 फीट सेक्टर रोड से हटाए अतिक्रमण

पीआरओ की दलील : होटल नहीं, रहने के लिए मकान बना रहा था

जन संपर्क विभाग के अधिकारी खरीद रहे है आवासन मंडल की जमीने औने पौने दामों में और अपनी धोंस से बनवा रहे है उन जमीनों पर अवैध बिल्डिंगे|

पिछले दिनों आपने समाचार पत्रों में ACB के भ्रष्ट PRO की अवैध बिल्डिंग के बारे में पढ़ा होगा यह तो केवल एक उदाहरण है ऐसे कई PRO जो राज्य के महत्वपूर्ण विभागों में लगे हुए है आवासन मंडल की जमीने औने पौने दामों में खरीद कर,उन पर अवैध बिल्डिंगे बनाने के काले धंधो में लिप्त है|ऐसे ही एक महाशय है जो कि जयपुर में एक नगर निकाय में तैनात है और अपने पद की धौंस से इस अवैध बिल्डिंग को बना रहे है|

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन है जन संपर्क विभाग का यह PRO जो अपने पद की धौंस से 4 दुकानों को मिलाकर अवैध काम्प्लेक्स बना रहा है?
2. यह चार दुकाने उसके किस नजदीकी रिश्तेदार के नाम है?कैसे खरीद की गयी थी इन चार दुकानों की?और कितनी दुकाने है इंदिरा गाँधी नगर में इस परिवार की?
3. कहाँ पर तैनात है वर्तमान में यह PRO?कितनी वैध और अवैध संपत्ति है इस PRO और उसके नजदीकी रिश्तेदारों के पास?
4. यह काम्प्लेक्स वैध है या अवैध?भवन मालिक द्वारा किसकी अनुमति से इस अवैध काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया है?क्या इस अवैध काम्प्लेक्स के नक़्शे पास है?
5. आखिर कब आवासन मंडल के अधिकारी इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाएंगे?
6. यह मामला हमारे द्वारा आवासन मंडल के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद आज दिन तक इस अवैध निर्माण को सील क्यों नहीं किया गया?
7. यदि ऐसे ही अवैध काम्प्लेक्स बनते गए तो RHB की दुकानों को कौन खरीदेगा?
8. क्या आयुक्त श्री पवन अरोड़ा के संज्ञान में लाने के बाद इस अवैध काम्प्लेक्स को तोडा जायेगा?